कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ ( ) /प्रमुवसं/ दिनांकः मई,2009

कार्यालय आदेश

विभागीय अधिकारियों की कार्यदक्षता में अभिवृद्धि के उद्देश्य से एवं सूचना तंत्र का सुद्रढीकरण करने लिये विभाग द्वारा वन संरक्षक स्तर तक सभी वनाधिकारियों को विभागीय कार्य हेतु लेपटॉप आवंटित किये गये थे। यह आवंटन पद नाम से ही उन्हें किया गया था।

बाद में कतिपय अधिकारियों द्यारा यह ध्यान में लाया गया था कि उनके लेपटॉप व्यक्तिगत रूप से व्यवहार में लिये जाते है। उनके द्वारा राजकीय कार्य सम्बन्धी सूचना के अतिरिक्त अनेकों व्यक्तिगत सूचनाएं भी लेपटॉप के माध्यम से संकलित की जाती है। कुछ अधिकारियों द्वारा लेपटॉप में बाहरी स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित करते समय सावधानी नहीं बरती जाती है जिससे लेपटॉप वायरस से प्रभावित हो जाते है। इस दृष्टि से मुख्यालय पर पुर्नसमीक्षा की जाकर यह निर्णय लिया गया है कि लेपटॉप की उचित देखरेख की दृष्टि से उनको आवंटित लेपटॉप कम्प्युटर पद नाम के स्थान पर व्यक्तिगत नाम से आवंटित किए जायेंगे एवं उनका स्थानान्तरण होने पर वे अपने साथ लेपटॉप अपने नवीन पद स्थान पर ले जा सकेंगे। परन्तु जब तक वे विभाग में कार्यरत है यह सुविधा उन्हें प्राप्त होगी। जब वे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जायेंगे अथवा सेवानिवृत होगे तब भार मुक्त होने से पूर्व उन्हें आवंटित लेपटॉप प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर कार्यालय में जमा कराकर अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

2851
21 MAY 2009

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ ( ) /प्रमुवसं/ 331-73 दिनांकः21 मई,2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अरावली परियोजना),राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके स्टोर से वनाधिकारियों की पूर्ण सूचना इस कार्यालय को भेजे तथा यह अब इस कार्यालय द्वारा ही अधिकारियों को आवंटित होगें।
2. सम्बंधित वनाधिकारीगण
3. वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर
4. स्टोर कीपर कार्यालय हाजा

19/5

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान जयपुर